	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
/1/25	... अभिभाषक ... है। अत पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 23/1/25 को पेश है	
/1/25	पक्षकारान उप०। तथा प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 24/1/25 को पेश हो।	
/1/25	पक्षकारान उप०। आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 27/1/25 को पेश हो।	
27/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी प्रतिवादी सं.1 प्रा०पत्र O 39 R 1, 2 में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना पक्ष प्रमाणित करने में असफल होने से प्रा०पत्र प्रार्थी प्रतिवादी सं.1 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	
5/11/25	पत्रावली माननीय न्यायालय RAA Kota से बाद निर्णय प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय द्वारा दि. 25/9/2025 को अपील अपीलार्थी खारिज कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जाने से न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली पूर्ववत दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त मीना (R.A.S.)

नसल नं0
63/प्रा.पत्र/2023(2023/101)

तारीख दायर
16.06.2023

तारीख फैसला
27.01.2025

बिरधी लाल आयु 69 वर्ष आत्मज श्री गोपाल जाति मीणा निवासी बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

–बनाम–

वादी/अप्रार्थी

1. दुर्गाशंकर आत्मज मोडू जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. हीरा बाई बैरवा मोडू जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. हरिशंकर आत्मज मोहन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. रतन लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. मूलचन्द आत्मज रामकिशन जाति मीणा. निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. प्रभुलाल आत्मज रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. भूरी पत्नी मूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
8. पप्पु पुत्र कालू जाति मीणा निवासी ग्राम चांदनहेली तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
9. रूकमणी पत्नी मोहन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
10. मोड़ लाल आत्मज बरधी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम चांदनहेली तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
11. राजरथान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब तालेडा जिला बुन्दी

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 :– श्री कमलेश त्रिपाटी
अधिवक्ता अप्रार्थी वादी :– श्री कुलदीप सिंह गोड

– : : निर्णय : : –

अन्तर्गत धारा, 212राज0टि0एक्ट

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 रतन लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवान का वाद संख्या 97/2017 बउनवान बिरधी लाल बनाम दुर्गाशंकर वादी बिरधी लाल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। उपरोक्त वाद बंटवारा कृषि भूमि बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बंटवारे के वाद में वादी एवं प्रतिवादी की हैसियत समान होती है। प्रतिवादी को भी वादी के समानान्तर ही वाद में कार्यवाही प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होता है। वादी बिरधी लाल द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 771 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 780 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1160 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 988 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1187 रकबा 5 बीघा, खसरा संख्या 1207 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1446/1190 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 64 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 84 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1253 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 824 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 835 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 37 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 22 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 108 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 442 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 889 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 1149 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा ग्राम बाजड तहसील एवं जिला बून्दी बाबत वादी ने उक्त बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र का प्रार्थी प्रतिवादी रतन लाल द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त कृषि भूमि के अलावा पक्षकारान के खसरा नम्बर 527 व खसरा नम्बर 529 कुल किता 2 कुल रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा ग्राम बाजड में स्थित है, जिसको उक्त वाद में शामिल किया जाना आवश्यक है। उक्त भुमि को शामिल किये बिना वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पोषनीय नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज ग्यारसी लाल जी के कब्जे काश्त की व स्वामित्व की भूमि है, जिसे जानबूझकर दावे में शामिल नहीं किया है। आपसी पारिवारिक बंटवारे अनुसार भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 421 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 731 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा कुल 28 बीघा 02 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 652 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा मे से 1/2 उत्तरी तरफ की अर्थात 19 बीघा 06 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 446 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में से 1/3 हिस्से की भूमि 6 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम बाजड रामनारायण वल्द ग्यारसीलाल के हिस्से व कब्जे में रही थी तथा भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 108 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 306 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 351 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 376 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा एवं भूमि खसरा संख्या 652 रकबा 38 बीघा 12 बिस्वा

1/2 हिस्सा 19 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा संख्या 486 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में से 1/3 06 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा संख्या 527 व 529 रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा मे से 1/2 16 बीघा 11 बिस्वा कुल 58 बीघा 03 बिस्वा भूमि गोपाल वल्द ग्यारसीलाल के हिस्से व कब्जे में रही थी तथा भूमि खसरा संख्या 75 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 84 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 326 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 301 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 125 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 486 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में से 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 527 व 529 रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा मे से 1/2 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि रामकिशन आत्मज ग्यारसी लाल के हिस्से व कब्जे में रही थी। इस बाबत पक्षकारों राजीनामा हुआ था तथा राजीनामें के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमियां अलग अलग खाते दर्ज करने के आदेश हुये थे। बाद में यह भूमि उक्त पारिवारिक बंटवारे के आधार पर गोपाल जी व रामकिशन जी के खाते लगी इसका लाभ उठाकर उक्त भूमि खसरा संख्या पुराना 532 जिसके नये खसरा संख्या 527 व 529 रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा को छोडते हुये शेष भूमि के बंटवारे का दावा समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुये भी असत्य तथ्यों के आधार पर किया है तथा उक्त खसरा संख्या 527 व 529 को बंटवारे में शामिल नहीं करते हुये असत्य तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारे का दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। पारिवारिक बंटवारे के आधार पर सम्वत 2028 में ही सम्पूर्ण भूमियां अलग अलग खाते दर्ज हो गई थी तथा प्रत्येक पक्षकार अपने हिस्से में आने वाली भूमियों पर गत 60 वर्षों से अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है। उक्त पारिवारिक बंटवारे में रामनारायण जी के हस्ताक्षर नहीं थे तथा रामनारायण जी को भूमि कम मिली थी इस कारण व रामकिशन के पास अधिक भूमि आ जाने के कारण खसरा संख्या 177 जिसके नये खसरा संख्या 486 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में से 1/2 भूमि रामनारायण जी व उनके उत्तराधिकारी रतन लाल के हिस्से व कब्जे काश्त में रही थी इस खसरा नम्बर की 1/2 भूमि गोपाल के उत्तराधिकारी के कब्जे व हिस्से में रही थी। इस खसरा नम्बर बाबत राजस्व मण्डल में कार्यवाही विचाराधीन है। वादी द्वारा ही उक्त वाद कृषि भूमियों के बंटवारे बाबत प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी प्रार्थी रतन लाल ने जवाब दावा प्रस्तुत कर सम्पूर्ण भूमियों को बंटवारे में शामिल करने का निवेदन किया है। दोराने दावा वादी बिरधी लाल उपरोक्त कृषि भूमियों मे से बिना बंटवारे का वाद निर्णित हुये ही कृषि भूमि का बैचान करना चाहता है, जिसका वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त स्थिति में प्रतिवादी प्रार्थी रतन लाल को अधिकार प्राप्त है कि वह दौराने दावा वादी एवं शेष प्रतिवादीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि दौराने दावा कोई भी पक्षकार किसी भी भूमि को अन्यों को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करे एवं प्रतिवादी संख्या 11 राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तालेडा को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमियों बाबत वादी एवं शेष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे तथा नामान्तकरण दर्ज नहीं करे। यह कि प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी प्रतिवादी रतन लाल के पक्ष में प्रमाणित है। अगर दौराने दावा किसी भी पक्षकार द्वारा भूमि का बैचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 4 रतन लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 10 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वाद पत्र प्रतिवाद पत्र एवं उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों बाबत विचाराधीन वाद के निस्तारण तक कोई भी पक्षकार कृषि भूमियों का बैचान नहीं करे तथा प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 11 राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद फरमाया जावे कि उक्त भूमियों बाबत किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नहीं करने एवं उक्त भूमियों का नामान्तकरण दर्ज नहीं करने का आदेश प्रदान करने का कष्ट फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 5 लगायत 11 को पाबन्द किया गया।

अप्रार्थी वादी बिरधीलाल ने प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में विचाराधीन होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य जिस तरह से लिखा गया है स्वीकार नही है। वास्तविक रूप से बंटवारे के वाद में वादी व प्रतिवादी केवल मात्र राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नाम व हिस्से अनुसार ही समान्तर वाद की कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है। वादी द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमियां शामलाती खातेदारी की होने एवं विवादित होने एवं ग्यारसीलाल के खाते की कुल भूमि कुल रकबा 159 बीघा 16 बिस्वा का फोती नामान्तकरण गोपाल, रामकिशन व रामनारायण के नाम दर्ज होने व भू प्रबन्ध विभाग 2028 से 47 के समय राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने से उक्त वर्णित कृषि भूमियों का वाद पत्र पेश किया था। ग्यारसीलाल के नामान्तकरण अनुसार गोपाल, रामकिशन एवं रामनारायण हिस्सा 1/3–1/3 अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी वादी, उसी अनुसार ही 1/3 का बंटवारा करने अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, अस्वीकार है। वास्तविक रूप से तथ्य इस प्रकार है कि खसरा सख्या 529 व 527 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा ग्राम बाजड की वादी के पिता गोपाल, रामकिशन की व्यक्तिगत भूमि भू प्रबन्ध के समय गोपाल, रामकिशन आ0 ग्यारसीलाल के खाते दर्ज हुई थी। उसके पश्चात वादी का नाम दर्ज हुआ । पूर्व में वादी के पिता गोपाल और वर्तमान में वादी गोपाल काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 4 का कोई हक व अधिकार नही होने एवं खसरा संख्या 529 व 527 भूमि शामलाती नही होने से बंटवारा में शामिल नही की जा सकती है। प्रार्थना पंत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि ग्यारसीलाल के खातेदारी की कृषि भूमि कुल रकबा 159 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। नामान्तकरण दर्ज होने के उपरान्त भू प्रबन्ध अवधि 2028 से 48 के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज किया जाने से चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि

खातेदारान गोपाल, रामकिशन, रामनारायण का हिस्सा गलत रूप से दर्ज किया गया। चूंकि खसरा संख्या 532 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये नम्बर 527 व 529 दर्ज हुए थे। उक्त खसरा संख्या 532 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के पिता गोपाल व रामकिशन के कब्जें काश्त में रहने से भू प्रबन्ध 2028 से 2048 में गोपाल, रामकिशन वल्द ग्यारसीलाल के खाते दर्ज की । किन्तु वर्तमान में वादी गोपाल व उसके भाई के खाते दर्ज है। उक्त कृषि भूमि स्वअर्जित होने से अन्य किसी का कोई हक व अधिकार खसरा संख्या 529 व 527 में निहित नहीं होने से बंटवारा में शामिल नही किया जा सकता है। पक्षकारान के मध्य खसरा संख्या 532 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा के बाबत कोई राजीनामा व आदेश नही हुए है और ना हीं किसी खातेदार पक्षकार व वादी के द्वारा हस्ताक्षरित है। काउन्टर क्लेम कर्ता (वादी) के द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में राजीनामा व आदेश दिनांक का कोई उल्लेख भी नहीं किया है। राजस्व मण्डल अजमेर में खातेदार रामकिशन के द्वारा अपने अधिकार घोषणा व बंटवारा अपील पेश की हुई है। जबकि रामकिशन अपने हक व अधिकार के हिस्से की कृषि भूमियों का बेचान भी कर चुका है। खातेदार रामकिशन अपने अधिकारों बाबत माननीय उपखण्ड अधिकारी बूंदी एवं राजस्व अपील अधिकारी कोटा से हार चुका है। राजस्व मण्डल अजमेर में खसरा संख्या 532 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा के बाबत कोई वाद विचाराधीन नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का एवं खसरा सख्या 529 व 527 का वादी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 4 का कोई सरोकार व लेना देना नहीं है। वादी रिकॉर्डेड खातेदार होने से वादी के विरूद्ध कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अनावश्यक व गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है उसे किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति नही हो रही है और ना ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। प्रार्थना स्वीकार नही अस्वीकार है ।अप्रार्थी वादी ने विशेष कथन में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियों का मूल खातेदार ग्यारसीलाल है। ग्यारसीलाल के खातेदारी में 159 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम बाजड में थी, ग्यारसीलाल के तीन पुत्र रामनारायण रामकिशन व गोपाल थे । ग्यारसीलाल का देहान्त होने के उपरान्त उसके फोती नामान्तकरण से कृषि भूमि रामकिशन, रामनारायण, गोपाल के दर्ज हुई है। प्रत्येक का हिस्सा 1/3-1/3 निहित हुआ है। उसके अनुसार ही खातेदारान के मध्य बंटवारा किया जाना था, किन्तु उक्त अनुसार बंटवारा नहीं हो पाया ।
यह कि खसरा सख्या 532 रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये नम्बर 529 व 527 हुए है। उक्त कृषि भूमि भू प्रबन्ध के समय से ही वादी के पिता गोपाल के खाते दर्ज रही है। वर्तमान में वादी के खाते दर्ज है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की एवं ग्यारसीलाल के खातेदारी की नही होने से वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियों में शामिल नही की जा सकती है। मूल खातेदार ग्यारसीलाल के देहान्त के बाद ग्यारसीलाल के खाते की भूमि का विधि अनुसार बंटवारा आज दिनांक तक भी नही हुआ है। ग्यारसीलाल के खाते में अंकित भूमि कानूनी रूप से वर्तमान में भी संयुक्त खातेदारी में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश करे।

बहस प्रार्थना पत्र सूची गई।

वकील प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी पर दौराने वाद किसी प्रकार का हस्तान्तरण एवं रहन बेचान नही करने बाबत निवेदन करते हुए समस्त पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी सं0 1,2,3 व 5 लगायत 11 को पाबन्द करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में दौराने बहस राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212, 212(5), सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1-2 जा0दी0, आरआरडी 2016 पेज 470, आरआरडी 2015 पेज 513 मान. उच्च न्याया., डीएनजे2020(1)राज.55, आरआरडी2020 पेज 14, आरआरडी 2016 पेज 747, आरएलडब्ल्यू 2005(1)एस.सी. 102, आरआरडी 2016 -580, आरआरडी 2016-44 , एआईआर 1994 एस.सी. 1496 पेश की गई।

वकील अप्रार्थी वादी ने दौराने बहस अपने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 जिस भूमि को वाद का भाग बनाकर पक्षकारान् को अस्थायी निषेधाषा से पाबन्द करवाना चाहते है , उक्त भूमि पर प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 का वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार कोई हक अधिकार नही है ना ही प्रार्थी खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है कि वह अन्य कृषक खातेदार की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित करे। जवाब प्रार्थना पत्र एवं बहस के समर्थन में 2023(2)डीएनजे पेज नं. 869, आरआरटी 2016-17(सप्ली.)पेज 637, आरआरटी 2014(2)पेज 1301, आरआरटी 2015(1)पेज 633, आरआरटी 2013(1)पेज 123 पेश की।

बहस उभयपक्ष सूनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 द्वारा वर्तमान भूमि ख0सं0 527 एवं 529 वाके ग्राम बाजड को वाद पत्र में वर्णित आराजी के साथ सम्मिलित कर सम्पूर्ण भूमि का मूल खातेदार ग्यारसीलाल के वारिसान में 1/3-1/3 हिस्सा अनुसार बटवारा किया जावे एवं दौराने वाद वाद वर्णित आराजी का रहन बय एवं हस्तान्तकरण पक्षकार नही करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे इस बाबत प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 ने प्रथम दृष्टया मामला भूमि ख0सं0 527 व 529 पक्षकारान् के पूर्वजो की सम्पति थी जिसे बटवारा में शामिल किया जाकर बटवारा किया जावे किन्तु उक्त भूमि का वर्तमान खातेदार कृषक प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 नही है ना ही ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रतीत हो कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 4 काबिज कास्त है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध प्रमाणित होता है। , सुविधा के सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सत्यो पर विचार किया जाता है तो चुंकि ख0सं0 527 व 529 वर्तमान में प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 खातेदार कृषक नही है ना ही काबिज कास्त है ऐसी स्थिति में यदि अन्य पक्षकारान् को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो भूमि ख0सं0 527 व 529 के खातेदार कृषक अपनी खातेदारी भूमि के खातेदारी अधिकारो

वंचित होगे, जिससे अपूरणीय क्षति भी खातेदार कृषक को होगी। अपनी खातेदारी की भूमि पर खातेदारी अधिकारो का उपयोग एवं उपभोग नही कर पाने से सुविधा का सन्तुलन भी भूमि के खातेदार कृषको का ही होगा। अतः उक्त बिन्दु सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी अप्रार्थी वादी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर प्रार्थी प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्ध एवं अप्रार्थी वादी व अन्य पक्षकारान् के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.1.2025 को टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा